कोरोना की चैन तोड़ने, घर पर रहना होगा -कलेक्टर

✸ लोग बेवजह घर से न निकलें- पुलिस अधीक्षक

नारायणपुर, 26 मार्च (सन्यूस)। कोरोना वायरस (कोविड-19) की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने आज कलेक्टोरेट में कोर कमेटी के सदस्यों और स्थानीय व्यावसायिकों, मीडिया प्रतिनिधियों और बैंक, पेट्रोल पंप, घरेलू गैस सप्लायर एजेंसियों की बैठक ली। उन्होंने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि 24 मार्च से नारायणपुर के समस्त सीमा क्षेत्र में पूर्णता तालाबंदी (लॉक डाउन) करने के आदेश जारी कर दिए है। जैसा आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल रात्रि 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में पूरे भारत देश में आगामी 14 अप्रैल तक लॉक डाउन करने का संदेश दिया था। जिसका लिखित में भी आदेश प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बेवजह मास्क की दृष्टि से मास्क पहनें। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के शहरों से वापस लौटे श्रमिकों को चिन्हांकित कर यह घर आइसोलेशन (विशेष निगरानी) में है का स्टीकर चस्पा किये जा रहे हैं।

उन्होंने उपस्थित सभी से आग्रह किया कि कोरोना वायरस की चैन तोड़े तभी हम सब चैन से रह सकते हैं। इसके लिए सामाजिक दूरी बनाये रखें।

पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग ने कहा कि लोग बेवजह घर से बाहर न निकलें। जरूरी होने पर परिवार का एक सदस्य ही घर का जरूरी सामान एक-दो दिन के लिए लायें। उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिये पास जारी करने कहा और उनसे भी कहा कि वे भी जरूरी होने पर ही प्रचार-प्रसार हेतु घरों से निकलें।

जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बस, ई-रिक्शा इत्यादि का परिचालन लगाने की आवश्यकता नहीं है। सड़कों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों और चिकित्सकों और स्टाफ को अस्पतालों में ईलाज के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा भी बंद रहेगा।

राशन-दुकानो-बैंको-एटीएम में बनाये जायेंगे गोल घेरे

✸ घुमक्कड़ बाइक चालको के पीठ में चिपकाई गई पर्चियाँ, घर से न निकलने की दी गई समझाईश

✸ जिले की सभी प्रवेश सीमाएं सील, कलेक्टर ले रहे पल-पल की जानकारी

कोण्डागांव 26 मार्च (सन्यूस)। जिले के सभी राशन दुकानो, बैंको एवं एटीएम के सामने अब गोल घेरे बनाये जायेंगे ताकि लोग पर्याप्त अंतर में खड़े होकर सामग्री लेने अथवा बैंकिंग संबंधित कार्य निपटा सकेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऐसा करना जरुरी हो गया है। कलेक्टर नीलकंठ टीकाम ने आज कोर कमेटी की बैठक में इस आशय संबंधी निर्देश दिए। इसके साथ ही कोरोना संबंधी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कई भवनो को चिन्हित किया जा चुका है इनमें पंचायत संसाधन केन्द्र, आदेश्वर स्कूल, रैन बसेरा एवं पुराना आरएनटी अस्पताल मुख्य रहेंगे। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि बाहरी राज्यों से आए जिले के निवासी कामगारो को किसी भी सूरत में 15 दिनों तक होम-आईसोलेशन में रखना सुनिश्चित करने के अलावा उनके मकानो को विशेष चिन्ह लगाकर निगरानी में रखा जाये।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि विदेश प्रवास से आए जिले के 22 निवासियों के सैम्पलो को बाहर भेजा गया था जो निगेटिव पाए गए। ज्ञात हो कि जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु हेल्प डेस्क का गठन किया गया है जिसके नोडल डॉ. आर.के.सिंग (मो.- 9425259149) है। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा घुमक्कड़ बाईक सवारो पर सख्त कार्यवाही की जा रही है जिनमें बिना वजह घूमने वाले बाईक सवारो की पीठ पर कोरोना वायरस संबंधी पर्चियाँ चिपकाकर उन्हें घरो से बाहर न निकलने की समझाईश भी दी गई। लोगो को जागरुक करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा कल संध्या के समय नगर के मुख्य स्थलों का गश्त करते हुए लोगो से बाहर न निकलने की अपील भी किया गया। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि धारा 144 के मद्देनजर कल नगर पंचायत फरसगांव अंतर्गत 11 वाहनो पर जुर्माना लगाया गया इनमें 4 दोपहिया, 5 फोर व्हीलर और 2 आटो शामिल है। इसके अलावा मसोरा में भी अवैध परिवहन करते हुए दो आटो वाहनो पर जप्ती की कार्यवाही की गई।

कांकेर जिले में 118 व्यक्ति होम आइसोलेशन में

✸ 19 व्यक्तियों ने किया होम आइसोलेशन पूर्ण

कांकेर, 26 मार्च (सन्यूस)। नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण की समीक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक कलेक्टर के.एल. चौहान की अध्यक्षता एवं मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि 118 व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिनमें से 19 व्यक्तियों ने होम आइसोलेशनन की अवधि पूर्ण कर लिया है तथा वे सभी पूरी तरह स्वस्थ्य हैं। होम आइसोलेषन में रखे व्यक्तियों से कहा गया है कि वे होम आइसोलेसन के मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन करें तथा निर्धारित अवधि तक होम आइसोलशन में ही रहें। नोवल कोरोना वायरस से बचाव हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सजग व सक्रिय रहने के निर्देशित किया गया है, साथ ही दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी तत्काल विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को देने के निर्देश दिये गये है। जिला चिकित्सालय में भर्ती मरिजों के सहयोगी के लिए भी भोजन व्यवस्था करने के लिए बैठक में निर्देशित किया गया।

कलेक्टर के.एल. चौहान ने समीक्षा के दौरान कहा कि ग्राम पंचायतों द्वारा सर्तकता बतरते हुए बाहर से लौटे व्यक्तियों का किसी प्रकार का विरोध न करें, बल्कि बाहर से आये व्यक्तियों को उसके स्वयं के घर में एक कक्ष में पृथक से अकेले रहने हेतु मितानिन एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से समझाईश देव।

धारा-144 का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश

कांकेर, 26 मार्च (सन्यूस)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं सभी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, सभी तहसीलदार और थाना प्रभारियों को जिले में लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) का कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देशित करते हुए कहा है कि उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण जिले में लागू है, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा अतिआवष्यक वस्तुओं के विक्रय से संबंधित दुकानों को छोड़कर कोई भी अन्य दुकान अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान न खोला जावे।

कलेक्टर श्री चौहान ने कहा कि अति आवष्यक कार्य को छोड़कर कोई भी नागरिक घर से बाहर न निकले। यदि ऐसा करते हुए पाये जाते है, तो उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं ऐपिडेमिक डिसीज एक्ट 1857 के सेक्टशन 3 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय, इसके साथ ही शांति भंग होने का अंदेषा होने पर दण्ड प्रक्रिया की धारा 107, 116, 151 के तहत कार्यवाही भी करने के लिए निर्देशित किया गया है।

अत्यावश्यक सेवायें घोषित

कांकेर, 25 मार्च (सन्यूस)। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा दिये गये निर्देशनुसार जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रबंधन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं को अत्यावष्यक सेवायें घोषित किया गया है, जिसके अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं एवं उनके उपार्जन एवं भण्डारण में आवश्यक सामग्रियों जैसे-बारदाने, सल्फस, कीटनाशक, ड्रनेज इत्यादि का संचालन भण्डारण एवं वितरण, खाद्यान्नों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग-अनलोडिंग, विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत उपार्जित धान की मिलिंग एवं भण्डारण के लिए लोडिंग-लनलोडिंग एंव परिवहन, धान की मिलिंग करने वाले राईस मिलें, अधिसूचित पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. पम्पों प्रदाय ईकाईयों द्वारा पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. का प्रदाय तथा एल.पी.जी. घरेलू तथा व्यावसायिक का प्रदाय को अत्यावश्यक सेवायें घोषित किया गया है।

आवश्यकता वाले दुकानें प्रातः 09 से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी

कांकेर, 25 मार्च (सन्यूस)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिले में विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजनों को प्रतिबंधित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 घोषित किया गया है, जिसके तहत पूर्व में जारी आदेश को यथावत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा अनुपूरक आदेश जारी किये गये है, जिसके अनुसार किराना दुकान, बेकरी, मोबाईल रिचार्ज, डेलीनीड्स की दुकानें, फल, अनाज एवं सब्जी मार्केट सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक खुले रहेगे। यह आदेश सम्पूर्ण कांकेर जिले में तत्काल प्रभावशील होगा, जो 31 मार्च 2020 याअग्रिम आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा।

बैंकिंग एवं एटीएम सेवाओं संबंधी निर्देश जारी

कांकेर, 24 मार्च (सन्यूस)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने बैंकिंग सेवाओं के तहत नकद राशि का लेन-देन, रिमिटेंस जैसे-आरजीटीएस, एनईएफटी आदि, चेक क्लीयरिंग की सेवायें, मुद्रा तिजोरी का परिचालन, एटीएम का परिचालन, शासकीय बैंकिंग व्यवहार की सुविधायें, सीएसपी, बैंक मित्र द्वारा बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराने, बीमा के नवीनीकरण एवं संबंधित अन्य सुविधाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि ग्राहकों द्वारा अन्य खातें में राशि अंतरण हेतु अधिकाधिक ऑनलाईन प्रक्रिया का उपयोग किया जावे, जिन खातों में एटीएम कार्ड्स प्रदान किये गये है, ऐसे खातों से नकद निकासी प्रथामिकता पर एटीएम से प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय, खाते में क्लीयरिंग कलेक्शन के माध्यम से चेक जमा करने हेतु ड्राप बाक्स का उपयोग किया जाये, बैंक शाखाओं में सेनिटाईजर की व्यवस्था स्टॉप तथा ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई जाये, बैंक शाखा में एक समय में पांच से अधिक ग्राहक अंदर न जाये ऐसे व्यवस्था की जाये। प्रत्येक एटीएम में यथासंभव सेनिटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, बैंक शाखा, एटीएम में स्टॉप एवं ग्राहकों में सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित करने के प्रयास किये जावे, एटीएम में समय-समय पर नकद राशि भरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे एटीएम खाली न रहें।

कलेक्टर ने कहा कि बैंक द्वारा नकद राशि की व्यवस्था हेतु वाहनों के आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, शाखा प्रबंधकों द्वारा सभी कर्मचारी, अधिकारियों को निवास एवं कार्यालय के बीच आवागमन एवं बैंक, एटीएम के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक सर्विस प्रोवाईडर व वेन्डर को बैंक द्वारा जारी अधिकृत पास के आधार पर लॉक डाउन वाले क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी जाए। लॉक डाउन अवधि के दौरान बैंक शाखाओं की कार्य अवधि का निर्धारण नागरिकों की सुविधाओं को सर्वोपरि रखते हुए बैंक द्वारा जारी सर्कुलेशन के आधार पर किया जावे।

एटीएम, मेडिकल स्टोर एवं दुकानों में ग्राहकों के लिए लगाये गये गोल चिन्ह

कांकेर 26 मार्च (सनयूस) नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एटीएम, मेडिकल स्टोर एवं किराना स्टोर में ग्राहकों के खड़े होने के लिए गोल चिन्ह बनाये गये, ताकि ग्राहक पर्याप्त दूरी में खड़े होकर सामग्री की खरीदी करें एवं एटीएम से राषि निकाल सकें। मेडिकल स्टोर, दुकानों एवं एटीएम में ग्राहकों के लिए बनाये जा रहे गोल चिन्ह का मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार श्री राजेष तिवारी एवं कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने अवलोकन भी किया तथा गोल चिन्ह बनाने वाले कर्मचारियों को आवष्यक दिषा निर्देष भी दिये।

घर पहुंचाकर रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण

कांकेर, 25 मार्च (सन्यूस)। आंगनबाड़ी के बच्चों को केन्द्र के बंद होने पर भी पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। केन्द्र की कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं बच्चों के घर-घर जाकर सूखी रेडी टू ईट भोजन पहुंचा रही है। अपने घर में ही पोषक भोजन सामग्री पाकर बच्चे और उनके अभिभावक खुश है। जिले की 02 हजार 108 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 56 हजार बच्चों को इस योजना फायदा मिल रहा है। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी केन्द्र में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सामान्य दिनों में गरम भोजन खिलाया जाता है। लेकिन शासन के आदेशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के बंद होने पर उन्हें इसके बदले सूखा पोषण सामग्री रेडी टू ईट के रूप में घर -घर उपलब्ध कराया जा रहा है।

नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। शासन ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के बंद रहने की उक्त अवधि में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सामान्य, मध्यम कुपोषित एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे रेडी टू ईट पोषक आहार 125 ग्राम प्रतिदिन के मान से एक सप्ताह के लिए 750 ग्राम टेक होम राशन के रूप में अनिवार्य रूप से वितरण करने के निर्देश दिए है, शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी टु ईट का वितरण यथावत् जारी रखने के निर्देश दिए गए है।

निःशक्तजन एवं निराश्रितों को दो महीने का निःशुल्क चावल वितरण

कांकेर, 26 मार्च (सन्यूस)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन अंतर्गत राहत देने के लिए जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डधारियों को अप्रैल एवं मई माह का चांवल निःशुल्क वितरित किया जाएगा। कलेक्टर के.एल चौहान ने इस आशय के आदेश जारी किये हैं, जो तत्काल प्रभावशील हो गया है।

परस्पर सहयोग से ही सामना कर सकते है कोरना वायरस का-महापौर

जगदलपुर 26 मार्च (सन्यूस)। महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने कोरोना वायरस कहर से बचाव के लिऐ शहवासियों से अपील करते हुऐ कहा कि इस गंभीर विषय पर संयम, धैर्य व सजगता के साथ जागरूक रहने की आवश्यकता है। महापौर ने इससे बचाव के लिऐ जनभागीदारी की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस गंभीर विषय कोरोना वायरस से बचाव के लिऐ प्रशासन को आवश्यक निदेश दिए है। इस विषय पर प्रशासन पूरी तरह मुसतैद है। मेरी श्रीमती साहू ने बताया कि हम हमारा पूरा नगर निगम परिवार, संभागायुक्त, कलेक्टर, निगम आयुक्त, पूरा प्रशासन एक साथ समन्वय व सजगता स्थापित करते हुऐ इस गंभीर विषय पर लगातार निगरानी रखे हुऐ है। वही शासन के निर्देशानुसार शहर मे एहतियात के तौर पर मॉल, सिनेमाघरों, चौपाटी, गुमटी व ठेलो को देशहित मे सहयोग बनाये रखने के उद्देश्य से बंद कराया गया है साथ ही अन्तर्राजीय बस सटैड, संजय बाजार, अन्य सार्वजनिक जगहों को एहतियात रखने हेतु शासन के दिशा निर्देश का सुनिश्चित रूप से पालन करे। महापौर ने शहरवासियों से अपील करते हुऐ कहा कि अपने क्षेत्र को साफ रखे। इस विषम परिस्थिति में जागरूकता के साथ स्वास्थय के प्रति सजग रहे। सर्दी, खांसी, बुखार होने पर चिकित्सक की सलाह ले।

मुख्यमंत्री से संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के ताजा हालात व परिस्थितियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुयी है।

पूरा प्रशासन आप सभी के सहयोग व सुरक्षा के लिऐ पूर्ण रूप से तत्पर व मुसतैद है। हम सभी मिलकर इस गंभीर विषय को जनभागीदारी व परस्पर सहयोग से दूर कर सकते है।